संख्या 13/21/82-स्था0(वेतन-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28-1-1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- पदोन्नति होने पर वेतन के निर्धारण के लिए तिथि का विकल्प देने के लिए जारी किए गए आदेशों से संबंधित स्पष्टीकरण ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 8.2.1983 के कार्यालय ज्ञापन सं0 13/26/82-स्था0(वेतन-1) के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शंका का मुद्दा तथा उक्त मद संख्या (6) के सामने दिये गये स्पष्टीकरण की सावधानी पूर्वक पुन: जांच कर ली गई है। ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में पदोन्नति होने पर मूल नियम 22(क)(1)(1) के अधीन निर्धारित किया गया प्रारम्भिक वेतन और मूल नियम 22-ग के अधीन निर्धारित किया गया प्रारम्भिक वेतन एक समान हो उनमें विकल्प का लाभ न दिये जाने से सम्बन्धित कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ेगी । इन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया गया है कि मद सं0 (6) में वर्णित शंका का मुद्दा और उसके सामने दिये गये स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

	शंका का मुद्दा	स्पष्टीकरण
6.	क्या विकल्प की मंजूरी उन मामलों में दी जाए जिनमें उच्चतर पद के वेतनमान में मूल नियम 22(क)(1)(1) के अधीन निर्धारित किया गया प्रारंभिक वेतन तथा मूल नियम 22-ग के अधीन निर्धारित किया गया वेतन, एक समान बैठता हो।	जी हां, विकल्प की अनुमति दी जाए ।

उक्त स्पष्टीकरण के आधार पर पहले निर्णीत मामलों पर पुन:

कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकती है तथा इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो संबंधित कर्मचारियों से वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्राप्त करके उनका वेतन पुन: नियत किया जा सकता है। इस प्रकार के मामलों में वेतन का इस तरह से पुन: निर्धारण होने पर, बकाया के भुगतान की अनुमति भी दी जा सकती है।

3- जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के अधीन स्थापनाओं का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किये जाते हैं।

(एस0हरिहरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।